रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 701] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2011/पौष 9, 1933

No. 701] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2011/PAUSA 9, 1933

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2011

सा.का.नि. 923(अ).— केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 36 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रशासनिक अधिकरण (उपाध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति की प्रकिया) नियमावली, 2006 का अधिकमण करते हुए और ऐसे अधिकमण से पहले आवश्यक कार्य करने अथवा किए जाने से निकाल देने के सिवाय एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :–

1. **लघु शीर्ष और आरम्भ** –(1) इन नियमों का नाम प्रशासनिक अधिकरण (उपाध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति की प्रकिया) नियमावली 2011 है।

(2) ये, शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएँ** : इन नियमों में, जब तक इस संदर्भ में अन्य कोई बात अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" से प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) अभिप्रेत है।

(ख) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(ग) "अधिकरण" से केन्द्र सरकार के संबंध में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य सरकार के संबंध में राज्य प्रशासनिक अधिकरण अभिप्रेत है।

3. **चयन समिति की संरचना** –

(1) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों के चयन के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों के चयन के प्रयोजन से एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :–

(i) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश–अध्यक्ष।

(ii) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण–सदस्य।

(iii) भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के सचिव–सदस्य।

(iv) भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के सचिव–सदस्य।

(2) राज्य प्रशासनिक अधिकरणों के सदस्यों के चयन के लिए– संबंधित राज्य प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों के चयन के प्रयोजन से संबंधित राज्य सरकार की एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :–

(i) संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश-अध्यक्ष।

(ii) संबंधित राज्य सरकार के मुख्य सचिव–सदस्य।

(iii) संबंधित राज्य के राज्य प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष–सदस्य।

(iv) संबंधित राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष–सदस्य।

4. **रिक्तियाँ**– सदस्यों की प्रत्याशित रिक्तियां जो प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष जनवरी से दिसम्बर तक उत्पन्न होती हैं, को चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा तथा संबंधित प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष, क्रमशः न्यायिक क्षेत्र और प्रशासनिक क्षेत्र से भरे जाने वाली सदस्यों की रिक्तियों की उस संख्या को दर्शाएगा, जिस पर इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया तद्नुसार, केन्द्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अथवा राज्य सरकार के संबंधित विभाग, जैसा भी मामला हो, द्वारा शुरू की जाएगी।

5. **आवेदनपत्र आमंत्रित करने/और उम्मीदवारी पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया**– (1) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण–

(i) नियम 3 के उपनियम (1) में संदर्भित चयन समिति, आवेदनपत्र आमंत्रित करने और सदस्यों का चयन करने के लिए स्वयं की ही प्रक्रिया निर्धारित करेगी अथवा मार्गदर्शी सिद्धांत विहित करेगी।

(ii) चयन समिति विभिन्न संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरणों को लिखने के पश्चात कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण द्वारा तैयार की गई उम्मीदवारों की सूची के व्यक्तियों में से सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करेगी।

(iii) केन्द्रीय सरकार चयन समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद तथा धारा 6 की उप धारा (3) में दिए गए उपबंध के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की एक अंतिम सूची बनाएगी।

(2) राज्य प्रशासनिक अधिकरण–

(i) नियम (3) के उपनियम (2) में संदर्भित संबंधित राज्य सरकार की चयन समिति, संबंधित राज्य के प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों के लिए आवेदन आमंत्रित करने और चयन के लिए भी अपनी खुद की प्रक्रिया बनाएगी या मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करेगी।

IndiaCode

(ii) चयन समिति, राज्य के विभिन्न संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों को लिखने के पश्चात् राज्य सरकार के मुख्य सचिव अथवा सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अथवा कार्मिक विभाग द्वारा तैयार की गई उम्मीदवारों की सूची के व्यक्तियों में से सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करेगी।

(iii) चयन समिति की सिफारिशों पर विचार किए जाने के बाद राज्य सरकार चुने गए व्यक्तियों की एक सूची बनाएगी और उस सूची को अपनी सिफारिश के साथ केन्द्रीय सरकार को भेजेगी, जो उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (4) में दिए गए उपबंध के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, संबंधित राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति करेगी।

6. **चयन समिति की बैठकें**– (1) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणों के मामले में, चयन समिति सामान्यतः अपनी बैठकें नई दिल्ली में और राज्य प्रशासनिक अधिकरण के मामले में संबंधित राज्य की राजधानी में अथवा अध्यक्ष द्वारा ऐसी बैठकों के स्थान के परिवर्तन के लिए कारणों को रिकॉर्ड करके, उसके द्वारा यथा निर्धारित ऐसे स्थान अथवा स्थानों पर, आयोजित करेगी।

(2) चयन समिति की बैठक के लिए नोटिस अथवा कार्य–सूची, जैसा भी मामला हो, अग्रिम रूप से जारी की जाएगी।

(3) बैठक की तिथि और स्थान, समिति के अध्यक्ष की सुविधा के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(4) बैठक के लिए न्यूनतम कोरम अध्यक्ष और कम–से–कम एक अन्य सदस्य होगा।

7. **भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श**– (1) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य के चयन के लिए धारा 6 की उप–धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार भारत के मुख्य–न्यायाधीश से परामर्श किया जाएगा और नियम 3 के उपनियम (1) में संदर्भित चयन समिति की सिफारिश तद्नुसार उनका मत जानने के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी।

(2) भारत के मुख्य न्यायाधीश के मत सहित चयन समिति की सिफारिशें, सक्षम प्राधिकारी को आदेशों के लिए प्रस्तुत की जायेंगी।

8. **राज्यपाल से परामर्श**– (1) राज्य प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य के चयन के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ राज्य सरकार द्वारा परामर्श किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए नियम 3 के उपनियम (2) में संदर्भित चयन समिति की सिफारिशें उनके समक्ष रखी जायेंगी।

(2) उपनियम (1) के अंतर्गत संबंधित राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात राज्यपाल के मत सहित चयन समिति की सिफारिशें, केन्द्र सरकार को भिजवाई जाएंगी और सरकार समक्ष प्राधिकारियों के आदेश मांगेगी।

[फा. सं. ए–11013/16/2010–ए.टी.]

राजीव कपूर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December , 2011

G.S.R. 923(E).—In exercise of powers conferred by clause (c) of Section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985) and in supersession of the Administrative Tribunals (Procedure for appointment of Vice-Chairmen and Members) Rules, 2006, except as respects thing done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Administrative Tribunals (Procedure for appointment of Members) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985);

(b) "Section" means a section of the Act;

(c) "Tribunal" means the Central Administrative Tribunal in relation to the Central and the State Administrative Tribunal in relation to a State.

3. Composition of the Selection Committee.-

(1) *For Selection of Members of the Central Administrative Tribunal.:* There shall be a Selection Committee for the purpose of selection of the Members of the Central Administrative Tribunal consisting of the following, namely:-

(i) A sitting Judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice of India – Chairman;
(ii) Chairman, Central Administrative Tribunal-Member;
(iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training)-Member;
(iv) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs)-Member.

(2) *For Selection of Members of the State Administrative Tribunals:-*There shall be a Selection Committee of the concerned State Government for the purpose of selection of Members of the concerned State Administrative Tribunal consisting of the following, namely :-

(i) Chief Justice of the High Court of the concerned State - Chairman.
(ii) Chief Secretary of the concerned State Government-Member;
(iii) Chairman of the State Administrative Tribunal of the concerned State-Member;
(iv) Chairman of the Public Service Commission of the concerned State-Member.

4. Vacancies- The anticipated vacancies of Members that is those arising between January to December of each calendar year shall be placed before the Selection Committee and the Chairman of the Administrative Tribunal concerned shall indicate the number of vacancies of Members to be filled from the judicial stream and the administrative stream respectively whereupon the procedure to fill up the vacancies, accordingly, shall be initiated by the Department of Personnel and Training of the Central Government or the Department concerned of the State Government, as the case may be.

5. Procedure for inviting applications and processing of candidatures.- (1) *Central Administrative Tribunal-*

(i) The Selection Committee referred to in sub rule (1) of Rule 3 shall devise its own procedure or lay down guidelines for inviting applications and for the selection of Members of the Central Administrative Tribunal.

(ii) The Selection Committee shall recommend persons for appointment as Members from amongst the persons on the list of candidates prepared by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training after writing to the various cadre controlling authorities.

(iii) The Central Government shall, after taking into consideration the recommendations of the Selection Committee, and in consultation with the Chief Justice of India in accordance with the provisions contained in sub-section (3) of section 6, make a final list of persons for appointment as Members of the Central Administrative Tribunal.

(2) *State Administrative Tribunal-*

(i) The Selection Committee referred to in sub rule (2) of Rule 3 of the concerned State Government shall devise its own procedure or lay down guidelines for inviting applications and for the selection of the Members of the Administrative Tribunal of the State concerned.

(ii) The Selection Committee shall recommend persons for appointment as Members from amongst the persons on the list of the candidates prepared by the Chief Secretary or Secretary, General Administration Department or Personnel Department of the State Government after writing to the various cadre controlling authorities of the State.

(iii) The State Government shall, after taking into consideration the recommendations of the Selection Committee, make a list of persons selected and send the same with its recommendations to the Central Government who shall in consultation with the Chief Justice of India and in accordance with the provisions contained in sub-section (4) of Section 6, appoint Members of the Administrative Tribunal of the State concerned.

6. Meetings of the Selection Committee.- (1) The Selection Committee shall normally hold its meetings at New Delhi in the case of the Central Administrative Tribunal and at the State capital of the State concerned in the case of the State Administrative Tribunal or at such other place as may be decided by the Chairman of the concerned selection Committee by recording the reasons for the change of the venue of the Committee.

(2) The Notice or Agenda, as the case may be, for meeting of the Selection Committee shall be issued in advance.

(3) The date and venue for the meeting shall be fixed in consultation with the Chairman of the Committee.

(4) The quorum for the meeting at a selection Committee shall be the Chairman and at least, one other Member.

7. Consultation with the Chief Justice of India.- (1) For selection of a Member of the Central Administrative Tribunal the Chief Justice of India shall be consulted in accordance with the provisions of sub-section (3) of Section 6 and the recommendation of the Selection Committee referred to in sub-rule (1) of rule 3 shall accordingly be placed before him for his views.

(2) The recommendations of the Selection Committee, together with the views of the Chief Justice of India shall be submitted to the competent authority for orders.

8. Consultation with the Governor.-(1) For selection of a Member of State Administrative Tribunal the Governor of the concerned State shall be consulted by the State Government and for this purpose the recommendations of the Selection Committee referred to in sub rule (2) of rule 3 shall be placed before him.

(2)After consulting the concerned Governor under sub-rule(1)the recommendations of the Selection Committee together with the views of the Governor shall be forwarded to the Central Government and that Government shall seek the orders of the competent authorities.

[F. No. A-11013/16/2010-AT]

RAJEEV KAPOOR, Jt. Secy

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054..